

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 1107/ग्रा0अ0से0/ढेके0पंजी0/व0स0-1/2018-19, दिनांक-22-01-2019

पंजीकरण संख्या-398 / श्रेणी-' बी'-मार्ग/भवन/2019

:--पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगढ के पत्र संख्या-1250/दिनांक-16-01-2019 से प्राप्त वीरेन्द्र पाल सिंह (प्रो0श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, शक्तिनगर, निकट परशुराम नगर, जनपद-एटा के बी श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर वीरेन्द्र पाल सिंह (प्रो0श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, शक्तिनगर, निकट परशुराम नगर, जनपद-एटा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मे मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में ढेकेदारी हेतु पंजीकरण नियमावली के नियम संख्या-12(1) के अन्तर्गत आगामी छः माह तक इस प्रतिबन्ध के साथ पंजीकृत किया जाता है कि वैधता समाप्ति से पूर्व श्रेणी बी हेतु निर्धारित अवशेष/नवीन हैसियत का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात इनका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ, चित्रकूटधाम बोंदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-एटा।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- वीरेन्द्र पाल सिंह (प्रो0श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, शक्तिनगर, निकट परशुराम नगर, जनपद-एटा (मो0नं0-9411687972, ई-मेल- nitinshakya1985@ gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7- अवर अभियंता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ढेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट अपलोड करना सुनिश्चित करें।



मुख्य अभियन्ता (प0क्षेत्र)  
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
उ0प्र0, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)